

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मार्च, 1998

संख्या सांका० नि० 69/संवि०/अनु० 309/98.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन विभाग लिपिकीय कर्मचारी वृन्द (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग I-- सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य वन विभाग लिपिकीय कर्मचारी वृन्द (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

परिभाषाएं।

(क) "अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ;

(ग) "मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ;

(घ) "वन संरक्षक" से अभिप्राय है, वन संरक्षक, हरियाणा ;

(ङ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(च) "वन मण्डल अधिकारी" से अभिप्राय है, वन मण्डल का प्रभारी उप वन संरक्षक, अथवा सहायक वन संरक्षक अथवा अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक ;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ज) "संस्था" से अभिप्राय है,--

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
या

- (झ) "प्रधान मुख्य संरक्षक" से अभिप्राय है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ;
- (ञ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
- (i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्व विद्यालय ; अथवा
 - (ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्व-विद्यालय ; या
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ।
- (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य वन विभाग लिपिकीय कर्मचारी वृन्द (ग्रुप ग) सेवा ।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
और उनका
स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बन्ताने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त
किए गये
उम्मीदवारों की
राष्ट्रिकता,
अधिवास तथा
चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) ; अथवा (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रेषित किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपरिश्चित के विषय विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ, इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में प्रत्येक पद के सामने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो। योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्ग भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,--

अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जिवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) उप अधीक्षक की दशा में,—

(i) 75 प्रतिशत सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; और 25 प्रतिशत वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

सस्पेंडीकरण :—चार रिक्त पदों के ब्लाक में तीसरा रिक्त पद वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के लिए होगा ।

(ख) निजी सहायक की दशा में,—

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सहायक की दशा में,—

(i) आशुटंककों/लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) 33 प्रतिशत आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) आशुटंककों की दशा में,—

(i) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) लिपिकों की दशा में,—

- (i) 20 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और ग्रुप ग के उन कर्मचारियों, जिनके वेतनमान तथा जिम्मे-
दारियां लिपिक के वेतनमान से कम हैं, में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियों, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा : परीक्षा।

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ;

(2) यदि, नियुक्त प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्त के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ;
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी :—
- (क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—
- (i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :
- परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे वह पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर, किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएं ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

अनुशासन, शास्तियां,
तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इल नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की
शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की
शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों की किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

20. पंजाब वन अधीनस्थ सेवा (लिपिकीय अनुभाग) नियम, 1943, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हैं, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	उप अधीक्षक	20	24	44	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
2	निजी सहायक	1	—	1	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 जमा 150 (विशेष वेतन) रुपये
3	सहायक	48	55	103	1400-40-1600-50-2300-द० रो० 60 2600 रुपये
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	14	26	40	1400-40-1600-50-2300-द० रो० 60 2600 रुपये
5	आशुटंकक	8	2	10	950-20-1150-द० रो०-25-1500-जमा 100 (विशेष वेतन) रुपये
6	लिपिक	127	100	227	950-20-1150-द० रो०-25-1500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदलाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	उप अधीक्षक	--	<p>पदोन्नति द्वारा--</p> <p>सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>परन्तु वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक ने विद्यमान रिक्तियों पर दो वर्ष की अवधि के लिए सहायक के रूप में कार्य किया होना चाहिए अथवा आंशिक रूप में उसने सहायक के कार्य में सहायता की हो ।</p> <p>वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को, सहायक के पद पर कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में विशेष आदेश जारी किए जाएंगे ।</p> <p>स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा--</p> <p>(i) उप अधीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
2	निजी सहायक		<p>पदोन्नति द्वारा--</p> <p>वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा--</p> <p>(i) निजी सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>

1	2	3	4
3	सहायक	---	<p>पदोन्नति द्वारा--</p> <p>आशुटंकक या लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा--</p> <p>(i) सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	<p>(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इंटरमिडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष, (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) ;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा</p> <p>(iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p> <p>(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा--</p> <p>(i) आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; और</p> <p>(iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p> <p>स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा--</p> <p>(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इंटरमिडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक)</p>

1	2	3	4
			(iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (v) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5 आशुटंकक		(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान ।	पदोन्नति द्वारा— (i) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन । स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडिएट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) ; (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा

1	2	3	4
			(iv) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (v) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान ।
6	लिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडिएट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक)	पदोन्नति द्वारा— (i) मैट्रिक या इसके समकक्ष ; (ii) ग्रुप घ कर्मचारियों के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ; या ग्रुप ग कर्मचारियों के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, जिनका वेतनमान और जिम्मेदारियां, लिपिक के पद से कम हैं । (iii) उसे नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टाईप परीक्षा पास करनी होगी । उक्त परीक्षा पास करने पर ही उसे वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात होगी । (iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में लिखित परीक्षा पास करनी होगी और केवल उत्तीर्ण होने की दशा में लिपिक के पद पर पदोन्नति की जायेगी । स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडिएट द्वितीय श्रेणी/ 10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक)

1998

HARYANA GOVT GAZ., JULY 7, 1998
(ASAR 16, 1920 SAKA)

1

2

3

4

5

6

(ii) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(iv) उसे नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टाईप परीक्षा पास करनी होगी । उक्त परीक्षा पास करने पर ही उसे वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात होगी ।

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

छोटी शास्तियां :

- (i) वैयक्तिक फाईल (आवरण
पंजी पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;

1 उप अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ;	वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
---	--	------------	-----------------------------------	----------------------------

- (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन
द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या
व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या
नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश
स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास
है अथवा संसद या राज्य विधान मण्डल
के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी
स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय
को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या
उसके भाग की वेतन से वसूली ;
(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन
वृद्धियां रोकना ।

बड़ी शास्तियां :

- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां
रोकना ;

प्रधान मुख्य
वन संरक्षक

- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के
लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर, वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरंरुता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरंरुता होगी ।

छोटी शास्तियां :

(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;

1	2	3	4	5	6	7
2	निजी सहायक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है अथवा संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
			बड़ी शास्तियां—			
		(vi)	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार	—
		(vii)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
		(viii)	निम्नतर, वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;			
		(ix)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
		(x)	सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्रहता नहीं होगी ;			

1	2	3	4	5	6	7
2	निजी प्रधान मुख्य सहायक	वन संरक्षक	(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है अथवा संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

बड़ी शास्तियां—

(vi) संचयी प्रभाव से वेतन
वृद्धियां रोकना ;

प्रधान मुख्य
वन संरक्षक

सरकार

—

(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के
लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम
पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों
सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी
ऐसी अवनति की अवधि के दौरान
वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं
और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर,
ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन
वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव
रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर, वेतनमान, ग्रेड,
पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो
सरकारी कर्मचारी के उस समय
वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर,
जिससे वह अवनत किया गया था,
पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक
होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा
सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत
किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी
और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,
पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों
सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ
या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार
के अधीन भावी नियोजन के लिए
निरंरता नहीं होगी ;

1	2	3	4	5	6	7
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी।			
			छोटी शास्तियां—			
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;			
3 सहायक	अपर प्रधान	(ii) परिनिन्दा ;		वन संरक्षक	अपर प्रधान	प्रधान
	मुख्य वन				मुख्य वन	मुख्य वन
	संरक्षक	(iii) पदोन्नति रोकना ;			संरक्षक	संरक्षक
4 वरिष्ठ	वेतनमान	(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निर्गमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश के स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है अथवा संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;				
	आशुलिपिक					
		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;				
		बड़ी शास्तियां—				
		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;		अपर प्रधान	प्रधान	सरकार
				मुख्य	मुख्य	
				मुख्य	वन	
		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन		वन संरक्षक	संरक्षक	

1	2	3	4	5	6
			वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;		
			(viii) निम्नतर, वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;		
			(ix) अन्तिम सेवा निवृत्ति ;		
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।		
			छोटी शास्तियां ---		
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;		
5	आश्चूटकन	वन संरक्षक	(ii) परिनिन्दा ;	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक
6	लिपिक		(iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार		अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश के स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है अथवा संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;

बड़ी शास्तियां—

(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;

वन संरक्षक	अपर प्रधान/ मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
---------------	------------------------------------	-------------------------------

(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर, वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत

1	2	3	4	5	6	7
			<p>क्रिया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;</p> <p>(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;</p> <p>(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी;</p> <p>(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी ।</p>			

परिशिष्ट घ

[रेगिस्टर नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के निये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	उप अधीक्षक	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार	--
2	निजी सहायक	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	प्रधान मुखा वन संरक्षक	सरकार	--
3	सहायक	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			

5 आशुटकक	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6 लिपिक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			

एच० सी० दिसोदिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 18th March, 1998.

No. GSR 69/Const/Art./309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Forest Department Ministerial (Group C) Service Rules, namely :—

PART I—GENERAL

1 (1) These rules may be called the Haryana State Forest Department Ministerial (Group C) Service Rules, 1998.

Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definition

(a) "Additional Principal Chief Conservator" means Additional Principal Chief Conservator of Forests, Haryana ;

(b) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana ;

(c) "Chief Conservator" means the Chief Conservator of Forests, Haryana ;

(d) "Conservator" means Conservator of Forests, Haryana ;

(e) "Direct Recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(f) "Divisional Forest Officer" means a Deputy Conservator or Assistant Conservator of Forests or Extra Assistant Conservator of Forests Incharge of a Forest Division ;

(g) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(h) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;

- (i) "Principal Chief Conservator" means Principal Chief Conservator of Forests, Haryana ;
- (j) "recognized university" means,—
- (i) any university incorporated by the law in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university ; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules ;
- (k) "Service" means the Haryana State Forest Department Ministerial (Group C) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b) (c) (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended if any and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives who are well acquainted with him in this private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on or before the last date of submission of application to Commission. Age.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the authority shown against each posts in column No. 3 of Appendix-C to these rules. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in case of appointment other than by direct recruitment. Qualifications.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

(8.) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or Disqualifications.

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be liable for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (I) Recruitment to the Service shall be made :—

(a) in case of Deputy Superintendent, —

(i) 75 per cent by promotion from amongst Assistants and 25 per cent by promotion from amongst Senior Scale Stenographers ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

Method of recruitment.

Explanation : In a block of four vacancies, every third vacancy will go to the share of the Senior Scale Stenographer.

- (b) in case of Personal Assistant,—
 - (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (c) in case of Assistant,—
 - (i) by promotion from amongst Clerks or Steno-typists ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (d) in case of Senior Scale Stenographer,—
 - (i) 33 per cent by promotion from amongst the Steno-typists ; and
 - (ii) 67 per cent by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (e) in case of Steno-typist,—
 - (i) 25 per cent by promotion from amongst the clerks ;
 - (ii) 75 per cent by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (f) in case of Clerk,—
 - (i) 20 per cent by promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst Group-D employees and Group C employees whose pay scales and responsibilities are lower than that of clerk ; and
 - (ii) 80 per cent by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any posts in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed, otherwise :

Provided that —

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may —
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services, and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment, —
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the term and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, —
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, —
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory, —
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, how was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve under,—

- (i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or University within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave Pension and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Discipline Penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority, shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such, as are specified in Appendix-C of these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix-D to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by laws established.

Oath of allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

Power of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special Provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Exservicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Reservations.

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

20. The Punjab Forest Subordinate Service (Ministerial Section) Rules, 1943, which are in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Repeal and Savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of the Posts	Number of posts			Scale of Pay
		Perma- nent	Tempor- ary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Deputy Superinten- dent	20	24	44	1640—60—2600—EB— 75—2900
2	Personal Assistant	1	—	1	1640—60—2600—EB—75— 2900—150. S.P.
3	Assistant	48	55	103	1400—40—1600—50—2300 —EB—60—2600
4	Senior Scale Stenographer	14	26	40	1400—40—1600—50—2300 —EB—60—2600
5	Steno-typist	8	2	10	950—20—1150—EB—25— 1500+100 S.P.
6	Clerk	127	100	227	950—20—1150—EB—25— 1500.

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Deputy Superintendent	...	<p>By promotion—</p> <p>Five years experience as Assistant/Senior Scale Stenographer :</p> <p>Provided that the Senior Scae Stenographer should worked as Assistant for a period of two years on existing vacancies or by sharing the work of an Assistant. The specific orders of a Senior scale Stenographer to work, on the post of an Assistant shall be issued by the competent authority in writing.</p> <p>By transfer or deputation—</p> <p>(i) Ten years experience as Deputy Superintendent.</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.</p>
2	Personal Assistant	...	<p>By promotion —</p> <p>Five years experience as Senior Scale Stenographer ;</p> <p>By transfer or deputation—</p> <p>(i) Ten years experience as Personal Assistant ;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.</p>

1	2	3	4
3	Assistant	...	<p>By promotion —</p> <p>Five years experience as Clerk or Steno-typist ;</p> <p>By transfer or deputation —</p> <p>(i) Ten years experience as Assistant ;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.</p>
4	Senior scale Stenographer	<p>(i) Matric 1st Division/Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division/10+2 (vocational) second Division/Graduate or its equivalent (For Ex-servicemen matric only).</p> <p>(ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute ; and</p> <p>(iii) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute.</p> <p>(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.</p>	<p>By promotion —</p> <p>(i) Five years experience as Steno-typist ;</p> <p>(ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute ; and</p> <p>(iii) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute.</p> <p>By transfer or deputation—</p> <p>(i) Ten years experience as Senior Scale Stenographer ;</p> <p>(ii) Matric 1st Division/Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division/10+2 (vocational) second Division/Graduate or its equivalent (For Ex-servicemen Matric only).</p> <p>(iii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute ; and</p> <p>(iv) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute.</p>

1	2	3	4
			(v) Knowledge of Hindi up to Matric standard.
5	Steno-typist	<p>(i) Matric 1st Division/Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division/10+2 (vocational) second Division/Graduate or its equivalent (For Ex-servicemen Matric only).</p> <p>(ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ; and</p> <p>(iii) Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute.</p> <p>(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.</p>	<p>By promotion—</p> <p>(i) One year service as Clerk ;</p> <p>(ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ; and</p> <p>(iii) Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute.</p> <p>By transfer or deputation —</p> <p>(i) Five years experience as Steno-typist ;</p> <p>(ii) Matric 1st Division Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division / 10+2 (vocational) second Division/ Graduate or its equivalent (For Ex-servicemen Matric only).</p> <p>(iii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ; and</p> <p>(iv) Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute.</p> <p>(v) Knowledge of Hindi upto Matric standard.</p>
6	Clerk	<p>(i) Matric 1st Division/Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division/10+2</p>	<p>By promotion —</p> <p>(i) Matriculation or its equivalent.</p>

1	2	3	4
	(vocational) second Division/ Graduate or its equivalent For (Ex-servicemen Matric only).		(ii) Five years experience on the post of Group D employees or Three years experience as Group C employees whose pay scales and responsibili- ties are lower than that of a clerk.
	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.		
	(iii) He shall have to pass the Departmental type test in Hindi/English at a speed of 15/30 words per minute respectively within one year from the date of appointment. He will be allowed annual increment only after qualifying the above test.		(iii) He shall have to pass the Departmental type test in Hindi/English at a speed of 25/30 words per minute respectively within one year from the date of app- ointment. He will be allowed annual increment only after qualifying the above test.
			(iv) A written test of Hindi and English languages of the matriculation level will be taken by the Principal Chief Conservator and only on being qualified shall be promoted to the post of Clerk.
			By transfer or deputation—
			(i) Matric 1st Division/ Higher Secondary Second Division/Intermediate Second Division/10+2 (vocational second Division/ Graduate or its equi- valent (For Ex-servicemen Matric only).
			(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard
			(iii) Five years experience as clerk.
			(iv) He shall have to pass the Departmental type test in Hindi/English at a speed of 25/30 words per minute respectively within one year from the date of appoint- ment. He will be allowed annual increment only after qualifying the above test.

APPENDIX C

[See rule 15 (1)]

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second & Final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7

Minor penalties :

1	Deputy Superintendent	Principal Chief Conservator	(i) Warning with a copy on the personal file (Character roll);	Conservator	Additional Principal Chief Conservator	Principal Chief Conservator
			(ii) Censure ;			
			(iii) Withholding of promotion ;			
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government, or to a company and association or a body of individual, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parlia-			

1	2	3	4	5	6	7
			ment or of the Legislature of a State ; and			
			(v) withholding of increments of pay without cumula- tive effect ;			
			Major penalties :			
			(vi) withholding of increments of pay with cumula- tive effect ;	Principal Chief Conser- vator	Govern- ment	—
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specifi- ed period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Govern- ment employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

reduced, with
or without further
directions regarding
conditions of restoration
to the grade or post or
service from which
Government employee
was reduced and his
seniority and pay on
such restoration to that
grade, post or Service;

- (ix) Compulsory re-
tirement ;
- (x) removal from ser-
vice which shall
not be a disquali-
fication for future
employment under
the Govern-
ment ;
- (xi) dismissal from
service which shall
ordinarily be a
disqualification
for future em-
ployment under
the Government ;

Minor penalties :

- | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|
| 2 | Personal
Assistant | Principal
Chief Con-
servator | (i) Warning with a
copy on the per-
sonal file
(Character roll); | Additional
Principal
Chief Con-
servator | Principal
Chief Con-
servator | Govern-
ment |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|
- (ii) Censure ;
 - (iii) withholding of
promotion ;
 - (iv) recovery from
pay of the whole
or part of any
pecuniary loss
caused by negli-
gence or breach
of orders, to the
Central Govern-
ment or a State
Government , or

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) Compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government

1 2 3 4 5 6 7

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) Compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government ;

1	2	3	4	5	6	7
Minor penalties :						
3	Assistant	Additional (i)	Warning with a copy on the personal file (Character roll);	Conservator	Additional Principal Chief Conservator	Principal Chief Conservator
4	Senior Scale Stenographer	Principal Chief Conservator				
(ii) Censure;						
(iii) Withholding of promotion ;						
(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and						
(v) withholding of increments of pay without cumulative effect.						
Major penalties:						
(vi)	withholding of increments of pay with cumulative effect ;			Additional Principal Chief Conservator	Principal Chief Conservator	Government

1	2	3	4	5	6	7
			(vii)	reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay;		
			(viii)	reduction to a lower scale of pay, grade, post of service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;		
			(ix)	Compulsory retirement ;		
			(x)	removal from service which		

1	2	3	4	5	6	7
			shall not be a disqualification for future em- ployment under the Government ;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualifi- cation for future employment under the Government ;			
			Minor penalties :			
5 Steno- typist	}	Conser- vator	(i) Warning with a copy on the per- sonal file ⁹⁸ (Character roll);	Divisional Forest Officer	Conserva- vator/Chief Conserva- vator	Additional Principal Chief Conser- vator
6 Clerk						
			(ii) Censure ;			
			(iii) Withholding of promotion ;			
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negli- gence or breach of orders, to the Central Govern- ment or a State Government or to a company and association or a body of indivi- duals, whether incorporated or not, which is wholly or substan- tially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			

1 2 3 4 5 6 7

- (v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;

Major penalties ;

- | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|
| (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ; | Conservator | Additional Principal Chief Conservator | Principal Chief Conservator |
|--|-------------|--|-----------------------------|

- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay ;

- (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced, with or

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) Compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government

ANNEXURE D

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and Final appellate authority, if any.
1	2	3	4	5	6
1	Deputy Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Principal Chief Conservator	Government	—
2	Personal Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Principal Chief Conservator	Government	
3	Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Additional Principal Chief Conservator	Principal Chief Conservator	Government men
4	Senior Scale Stenographer				

1	2	3	4	5	6
5 Steno- typist	}	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Conser- vator	Additional Principal Chief Conser- vator	Principa Chief Conser- vator
6 Clerk					
		(ii) terminating the appointment otherwise than on his attain- ing the age fixed for superannuation.			

H. C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Forests Department.